मि.नं. 59/18

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज	नम्बर व ता. अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

1-18 प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम (7) (13) CPC बमुकदमे उक्त संख्या 102/2018 बउनवान कान्तिलाई बनाम नाथूलाल आदि अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92 R.T.A. फैसला दिनांक 14-11-2018 अधिवक्ता श्री भंवरसेट गौड़ द्वारा पेश किया। दर्ज रजिस्टर किया जावें।

प्रार्थना-पत्र में अंकित बिन्दुओं का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र में लेख किया है कि दिनांक 14-11-18 को किया गया निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रतिवादीगण को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान करें।

प्रार्थना-पत्र का गहनता से अवलोकन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वाद-पत्र का निर्णय दिनांक 14-11-18 को हो चुका है। जिसको पुनः नम्बर पर लिया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः अधिवक्ता द्वारा पेश किया प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत 9 नियम (7) (13) CPC नाथूलाल बनाम कान्तिलाई खारिज किया जाता है। प्रार्थना-पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 27-11-18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official